संख्या– 1764 /VII-1/2017/8 ख/16

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड देहरादून।

देहरादून : दिनांक 17 नवम्बर, 2017

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

विषयः जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अधिसूचना सं० 1329/VII-1/2017/08ख/16, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक अलाभकारी निकाय के रूप में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास का गठन किया गया है। खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 20क के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को प्रदत्त अधिकारों के अधीन राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना के समय प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana-PMKKKY) को भी जिला खनिज फाउंडेशन के नियमों में सम्मिलित किया जाय तथा तद्नुसार क्रियान्वयन किया जाय।

2. इस संबंध में शासन की अधिसूचना संख्या–1621/VII-1/2017/8ख/16 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के दिशा–निर्देशों की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की स्थापना करते हुए न्यास के नाम से किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलते हुए उक्त नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्रावधानानुसार समस्त खनिज परिहारधारकों से न्यास निधि हेतु अपेक्षित अंशदान तत्काल जमा कराने का कष्ट करें।

3. उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तत्संबंधी सूचनाएं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के निर्धारित वेब पोर्टल पर अपलोड कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अनिवार्य रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1764 (1)/VII-1/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव